न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 76/2022

(GCMS 2022/270)(आरटीआई नं. 212486809403841)

श्री रामावतार कुमावत, फ्लेट नं. 201, श्रीगोवर्धन हाईट्स नियम इस्कॉन टेम्पल, मुहाना मण्डी रोड़ धोलाई, मानसरोवर, जयपुर– 302029

बनाम

1. **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)**, श्रीगंगानगर
2. **सहायक निदेशक, लोक सेवाएं,** कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर
3. प्रभारी अधिकारी, **सहायता शाखा,** कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर
4. **उपखण्ड अधिकारी, घड़साना**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामावतार कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2021 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर एक्ट के तहत कार्यवाही करने एवं निःशुल्क सूचनायें उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामावतार कुमावत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना द्वारा कलक्टर एवं ज़िला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्रांक 2277 दि[illegible] 05[illegible].2020 प्रति व जिला कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही [illegible] जारी पत्रों/आदेशों [illegible] प्रमाणित प्रतियां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेन्ट कमाण्डर, घड़साना द्वारा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र कार्यालय घड़साना क्रमांक पीए/2020/2360 दिनांक 15.05.2020 की प्रमाणित प्रति एवं उस पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. अति. पु.अ. रायसिंहनगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नई मण्डी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा अति.पु.अ., रायसिंहनगर को प्रेषित पत्र क्रमांक पीए/2020/2320 दिनांक 08.05.2020 जिसकी प्रति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, श्रीगंगानगर को प्रेषित की गई थी, उसकी प्रति व उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।
4. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवादी कमलकान्त द्वारा दर्ज कराया गया परिवाद क्रमांक 05203807817002 दिनांक 19.05. 2020 एवं परिवाद क्रमांक 05203807816942 दिनांक 19.05. 2020 की प्रतियां जो एसडीओ, घड़साना को हस्तांरित की गई। सम्पूर्ण विस्तृत हिस्ट्री व जिला कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही व निस्तारण आदि की प्रतियां उपलब्ध करावें।
5. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना को प्रेषित पत्र एफ 16(5)/20/1219 दिनांक 27.05.2020 की प्रमाणित प्रति।
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घड़साना द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर [illegible] 2020 दिनांक 29.05. 2021 की प्रति एवं उस पर [illegible] परीक्षण की गयी कार्यवाही, [illegible] एवं जारी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> 7. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2053 दिनांक 22.05.2020 को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित प्रमाणित प्रति।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस कार्यालय के पत्रांक 1752—54 दिनांक 05.12.2022 से प्रभारी अधिकारी, सहायक निदेशक लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर, प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को सूचना हेतु लिखा गया था।

सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1443 दिनांक 19.12.2022 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि आपके पत्रांक 1752 दिनांक 05.12.2022 के संबंध मे तारीख पेशी दिनांक 19.12.2022 को प्रातः 11:30 बजे सुनवाई के लिए जिला न्यायालय कलक्टर, श्रीगंगानगर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। श्रीमान् उल्लेखित पत्रांक में अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2021 (IPO 52 F 595051) में चाही गई सूचना में बिन्दु संख्या 4 इस कार्यालय से संबंधित था जो अपीलार्थी को इस कार्यालय पत्रांक लोकसेवा/आरटीआई/2021/1236 दिनांक 07.12.2021 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। जिसकी पुष्टि अपीलार्थी द्वारा स्वयं आवेदन पत्र में की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः श्रीमान् इस कार्यालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की पालना करते हुए अपीलार्थी को तय समय—सीमा में सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रार्थी एवं श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर को उपलब्ध करवायी गई सूचना सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

-sd-
सहायक निदेशक
लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने पत्रांक 2735 दिनांक 19.12.2022 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री रामावतार कुमावत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील में इस कार्यालय से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं चाही गई है। अपीलार्थी को इस कार्यालय से कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।

रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.01.01 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी(सहायता) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3945 दिनांक 16.12.2022 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित संबंध में प्राप्त अपील प्रकरण इस कार्यालय के पत्रांक 3272–74 दिनांक 20.09.2022 द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की Sub Section 3 of Section 6 के अन्तर्गत वांछित सूचना/प्रतियां आवेदक को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रकरण स्थानांतरित किया जा चुका है।
>
> इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई वर्णित तथ्यों पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 1516–17 दिनांक 18.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आवेदक श्री रामावतार कुमावत को अवगत करवाया गया है कि अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2053 दिनांक 22.05.2020 गोपनीय रिकॉर्ड होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।
>
> संलग्न : उपरोक्तानुसार।
>
> प्रभारी अधिकारी (सहायता)
> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी(सहायता) एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3272–74 दिनांक 20.[illegible]2022 से अपीलार्थी की मूल अपील प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को हस्तांतरित की है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी / वाचक / 2022 / 1827 दिनांक 19.12.2022 एवं **स्मरण पत्र** 99 / 01.02.2023, 152 / 08.02.2023, 811 / 22.06.2023 एवं 2046 दिनांक 01.12.2023 से प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि आवेदन के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2021 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है अथवा नहीं? जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 3 व 5 से 7 सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर, सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested